तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
17/11/2020	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार बावड़ी द्वारा अप्रार्थी भूमिधारी राजस्व ग्राम सेवानगर के सत्येन्द्रनाथ के विरुद्ध रकबा 8.00 बीघा किस्म ना. ख.न. 139/25 रकबा की भूमि पर खनन हेतु खनन मलबा डाल कर भूमि को अकृषि उपयोग में लाने के कारण राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यवाही करने एवं रकबा राज घोषित करने हेतु निवेदन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को उपस्थिति निमित्त से पाबंद किया गया तथा अप्रार्थी को पेशी नोटिस तामील किया गया। आदेश दिनांक 27/7/18 को पारित किया गया, जिसके विरुद्ध अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर में अपील सं. 225/आर.टी.ए./2018/199 प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 3/11/18 को निर्णय पारित कर आदेश दिनांक 27/7/18 खारिज किया गया। माननीय न्यायालय से निर्णय की प्रमाणित प्रति व मूल पत्रावली प्राप्त होने पर पत्रावली को पुनः तारीख पेशी पर ली गई। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालतनामा व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 CPC प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जब प्रकरण के दर्ज रजिस्टर के आदेश को खारिज कर दिया गया तो प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेकर आगे की कार्यवाही नहीं की जा सकती। कार्यवाही को इसी स्तर पर बंद कर पत्रावली दाखिल दफ्तर करने के आदेश फरमावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया। अपीलान्ट न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया जो संलग्न पत्रावली

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

रा.मु.जो.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हो। निर्णय में इस न्यायालय को किसी प्रकार से गुण-अवगुण पर निर्णय पारित करने हेतु दिशा निर्देश प्रदान नहीं किये गये है अतः आवेदक/अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 CPC स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में की जा रही कार्यवाही को इसी स्तर पर बंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर (रिकार्ड होकर, दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Scanned by CamScanner